ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 576/3/2013/SDR Dated 5th February 2014

To

The CEOs of all States & UTs
(except A & N Islands, Chandigarh,
Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu and Lakshadweep)

Subject: Provision of NOTA option- clarification -regarding

Sir,

Kindly refer to the Commission's letter of even no. dated 24.01.2014 regarding applicability of the option of " NOTA" for elections to Rajya Sabha and about issue of necessary instructions with regard marking of ballot paper for exercising the option of NOTA and counting of votes separately.

The procedure for method of voting is provided under Rule 37A of CE Rules 1961, as made applicable under rule 70. In the case of an elector deciding to exercise the option of NOTA, s/he shall indicate so in the space provided by either putting **a cross mark (X) or a tick mark (✓). A ballot paper on which NOTA option has been marked with a cross or tick mark would be treated as invalid even if it contains any preference/ figure against the name of a candidate. The presumption would be that a voter who has exercised NOTA option on a ballot paper has exercised the option in respect of all candidates.**

Since NOTA is an option for not giving preference to any of the candidates in fray and as such this is not to be taken into account while ascertaining the quota under Rule 75 or 76 of CE Rules 1961.

The above instructions may be brought to the notice of all the ROs for compliance.

Yours faithfully

(K.F.WILFRED)
PRINCIPAL SECRETARY

ई-मेल/ स्पीड पोस्ट के द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

मि.सं.576/3/2013/एसडीआर दिनांक- 05 फरवरी, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह, चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप के अतिरिक्त)

विषय – नोटा (NOTA) विकल्प का प्रावधान – स्पष्टीकरण – तत्संबंधी ।

महोदय/ महोदया,

राज्य सभा निर्वाचनों हेतु 'नोटा' के विकल्प की उपयुक्तता के संबंध में तथा 'नोटा' के विकल्प का प्रयोग करने के लिए मतपत्र चिन्हित करने के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करने के बारे में और मतों की अलग से गणना करने संबंधी आयोग के दिनांक 24-01-2014 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें ।

जैसा कि नियम 7 के अधीन लागू किया गया था, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 37क के अधीन मतदान की विधि के लिए प्रक्रिया उपबंधित की गई है। किसी निर्वाचक द्वारा नोटा का विकल्प प्रयोग किए जाने के निर्णय के मामले में वह उपलब्ध करवाए गए स्थान में क्रास (X) का अथवा सही (√) का निशान लगाएगा। यदि किसी मतपत्र पर नोटा विकल्प के सामने क्रास अथवा सही का निशान लगाया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा, चाहे उसमें अभ्यर्थी के नाम के सामने वरीयता/आंकड़ा दिया गया है। इस संबंध में धारणा यह है कि जिस मतदाता ने मतपत्र पर नोटा विकल्प का प्रयोग किया है, उसने वह विकल्प सभी अभ्यर्थियों के संबंध में प्रयोग किया है।

चूंकि, नोटा ऐसा विकल्प है, जो चुनावी मैदान में निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी को अधिमान नहीं देने के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 75 या 76 के अधीन कोटा का पता लगाने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त अनुदेशों को अनुपालन हेतु सभी रिटर्निंग आफिसर के संज्ञान में लाया जाए ।

भवदीय,

(के. एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव